Contents

Particulars	Page No.
1. Affiliation Letter	1-2
2. Recognition Letter	3-4
3. NOC State Government	5-6
4. NBC	7-8
5. Fire NOC	9
6. Health and Sanitation Certificate	10

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

F: CBSE/RO/DDN/EXAM-XII/2020/SCH-81943/Aff. No. 2133081 Dt.28.09.2020

The Principal (81943),
Goya World School
Village-Rampur Jatt
Post-Saidnagli,Tehsil-Sambhal
District Sambhal,
Uttar Pradesh-244242

Sub: General Affiliation / Up-gradation up to Senior Secondary level- Reg.

Sir / Madam,

This has reference to CBSE HQs letter no. **CBSE/AFF//SS-00714-2021/2020-21** dated 17/09/2020 regarding upgradation of the school for Senior Secondary Examination of the Board for a period of **three years w.e.f. 01/04/2020 to 31/03/2023** with the subject mentioned in the upgradation letter. Being an affiliated school upto secondary level and located under the jurisdiction of CBSE, Regional Office Dehradun, your school has been already allotted School Code - 81943 and the school has grown to its present stature. Now, the school after getting upgradation needs to upgrade itself in all activities be it scholastic or co-scholastic for all round development of the students.

While complimenting the school for its upgradation to Senior Secondary level, this office welcomes your school as a strong arm and senior member of CBSE to take a bigger role and responsibility for establishing it as a premier abode of education to serve the Society/Nation. Being a CBSE affiliate, it becomes imperative on the part of school to follow the provisions contained in the CBSE Affiliation & Examination Bye-laws, including instructions issued by the Board from time to time. In order to keep itself updated, the school must visit the website of the Board i.e, www.cbse.nic.in regularly and also motivate, encourage as well, the teachers and other staff for thorough study of the Bye-laws, Rules, Provisions and Syllabus Curriculum and various other activities of the Board. The school needs to fulfil all the conditions given in the upgradation letter including the following:-

1. Admission to the school/examination is to be restricted as per Rule 6.1 and Rule 12 (i, ii, & iii) of Examination Bye-laws. While granting admission, required documentation and procedure prescribed by the Board must be adhered to, and special care be taken about eligibility in terms of age factor. The school shall ensure to properly keep the **School Records i.e. Admission Form, Transfer Certificate and Admission Withdrawal Register** to maintain complete record(s) of the students, for which **sample formats were provided at the time of secondary affiliation**, in order to ensure uniformity of the documents among all the schools of the Region/CBSE. Correct particulars of the students viz. **Candidate Name, Mother's Name, Father's Name, Date of Birth, etc.** be captured during admission, strictly on the basis of viable documentary records viz. Class-X documents, **Service Records of parents, Aadhar, Voter ID, Passport, vis-a-vis previous school records of candidates,** wherever applicable, so as to avoid post-result corrections.

2. The admission be granted only after **ascertaining the age eligibility criteria** for a particular class in which Admission is being sought. A student seeking admission to any class in a 'School' will be eligible for admission to that Class only if he/she satisfies the requirements of age limits (minimum and maximum) as determined by the State / UT Government and applicable to the place where the School is located. As per the normal criteria for admission in Class 1 adopted by most State Governments and KVS / NVS it is 5+, accordingly a student should be 15+ while in Class X and 14+ in Class IX.

Continued...(2)

कार्यालय - देहरादून, 99, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248001
Regional Office - Dehradun, 99, Kaulagarh Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001
Phone: 0135-2757744 / 0135-2757766. Fax : 0135-2757733
Email – roddn@cbse.gov.in, roddn.cbse@gmail.com

interest of the students. The school may also ensure to appoint Wellness Teacher/Counselor, as per guidelines of the Board.

Besides, the Board has been taking various initiatives to strengthen the CBSE affiliates. For ease and convenience of the functionaries of newly affiliated institutions, the Board has prepared a presentation on Self Learning Material containing useful information required by new schools, which is available on Board's website which is useful for old schools also. The Board has also introduced – **Handbook for Principals; Handbook for Teachers; Handbook for Students and Handbook on Cyber Safety** which are being forwarded herewith this letter for information and reference of the school. **The school is requested is study the Self – Learning Material (SLM) developed by the Board for newly affiliated schools. Circular No. Acad. 35/2020.**

Each correspondence to the Board should have a covering letter bearing the Affiliation No., School No., Mobile/Phone No., email id, seal and signature of the Principal of the school and must be complete in all respect. This helps the Board to promptly communicate with school/disposal of cases as per requirement and improve efficiency. In order to improve efficiency, speedy disposal of communication, now onwards, the schools under the jurisdiction of this Regional Office will send their requests in electronic mode through **e-HARKARA, which is Rapid Communication System for schools** (to enable a paperless functioning through online; scanning, registering and routing the correspondences
along with creation of file, referencing, correspondence attachment, approvals and finally movement and
tracking of files as well as receipts). **Original/manual documents may be sent only if necessary and desired by this office.**

- The link for **e-HARKARA** is available at CBSE website.
- This Portal works at 2 stages, first at school level and second at department level.
- **Steps involved in using e-HARKARA have already been sent to all schools.**

Please ensure that the **Rules / Guidelines / Bye-Laws of the Board are** carefully studied / followed and before sending any correspondence to this office **please also** ensure that cases submitted to the Board are as per rules.

You are requested to strictly follow and fulfill all the conditions laid down in the affiliation / upgradation **letter** under reference and submit compliance of Special conditions as at **Sl.No. 49** of the letter within the stipulated time.

With best wishes !

Yours faithfully,

(Ranber Singh)
Regional Officer

कार्यालय - देहरादून, 99, कौलागढ़ रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड– 248001
Regional Office - Dehradun, 99, Kaulagarh Road, Dehradun, Uttarakhand – 248001
Phone: 0135-2757744 / 0135-2757766. Fax : 0135-2757733
Email – roddn@cbse.gov.in; roddn.cbse@gmail.com

कार्यालयः जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ,सम्भल।

आदेश–बे0शि0/मान्यता/ 1094 /2016–17 दिनॉक 31-3-17

सेवा में,

प्रबन्धक/प्रधानाध्यापक
गोया वर्ल्ड स्कूल, ग्राम रम्पुरा जट
विकास खण्ड सम्भल जनपद सम्भल।

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण–पत्र।

महोदय/महोदया,

मण्डलीय मान्यता समिति बैठक दिनांक 25.03.2017 में लिए गए निर्णय के अनुसार खण्ड शिक्षा अधिकारी, सम्भल एवं विद्यालय के साथ परचात्वर्ती पत्राचार/निरीक्षण अनुसार शासनादेश संख्या 419/79–6–2013–18 (20)/91 दिनांक 08 मई 2013 के अनुपालन में इस विद्यालय को दिनॉक 01.04.2016 से दिनॉक 31.03.2019 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए कक्षा नर्सरी से कक्षा 08 (अंग्रेजी माध्यम) तक के लिए अंनतिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

<u>उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तो के पूरा किए जाने के अध्याधीन हैं–</u>

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं हैं और उसमें किसी भी रूम में कक्षा–8 के पश्चात मान्यता/संबधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नही हैं।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009(उपाबन्ध–1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम2010(उपाबन्ध–2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
3. विद्यालय कक्षा 1में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तथा आस–पड़ोस के कमजोर वर्गो और सुविधाविहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
4. पैरा–3 में निर्दिष्ट बालको के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा-2 के उपबन्धोंके अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
5. सोसायटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता–पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रकिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और यह अधिनियम की धारा 15 के निम्न उपबधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :–
   - I. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा, या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
   - II. किसी भी बालक को न तो शारीरिक दण्ड दिया जायेगा और न ही मानसिक उत्पीड़न किया जायेगा।
   - III. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी।
   - IV. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
   - V. अधिनियम के उपबन्ध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।
   - VI. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती हैं परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियन के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नही हैं पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएंअर्जित करेगें।
   - VII. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्य का पालन करेंगे।
   - VIII. अध्यापक स्वयं को किसी निजि अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेगें।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्य चर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेंगें।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानको और संनियमों को बनाये रखेगा, अंतिम निरीक्षण के समय रिर्पोट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :–

Principal
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)

Manager
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल– 8100.00 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्र – 1052.83 वर्ग मी0
प्रधानाध्यापक–सह कार्यालय–सहभण्डारागार के लिए कक्ष–01
बालक ,बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय–हॉं
पेयजल सुविधा–हॉं
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्करों/पुस्तकालय की उपलब्धता–हॉं

9. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैरमान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायें जायेगी।
10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओं या कीड़ा स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिए किया जायेगा।
11. विद्यालय को सोसायटी रजिस्ट्रकरण अधिनियम 1860 (1860का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति ,व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउन्टेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमो के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जायेगी।
14. आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्याक **UPSE – 164** हैं, कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिर्पोट और सूचना प्रस्तुत करता हैं जो समय समय पर शिक्षा निदेशक /जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के दिए अनुदेशों का पालन करता हैं, जो मान्यता सम्बन्धित शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जायें।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो को सुनिश्चित किया जाएं।
17. उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त ,जो विहित की गई है।
18. राज्य सरकार/शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन लखनऊ द्वारा निर्गत समय–समय पर आदेश/निर्देश का पालन करना अनिवार्य होगा।
19. संस्था में शिक्षकों का चयन,अवकाश एवं अन्य अपनाई गई प्रकिया राज्य सरकार के शासनादेश एवं नियमो के अधीन होगा।

यदि आपके द्वारा कोई तथ्य छुपाया जाता हैं, विसंगति की दशा में अथवा भ्रम की स्थिति प्रकाश में आने पर इस मान्यता आदेश पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पडता है तो बिना नोटिस मान्यता समाप्त करने की नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर दी जायेगी ,जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व एवं जिम्मेदारी स्वयं विद्यालय प्रबन्धन की होगी।

(डा0 सत्यनारायण)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सम्भल।

पृ0सं0:–बे0शि0/मान्यता/28428-34 /2016–2017 दिनांक उक्तवत
प्रतिलिपि–निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर शिक्षा निदेशक बेसिक शिक्षा निदेशालय इलाहाबाद।
2. सचिव बेसिक शिक्षा परिषद,उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक),द्वादश मण्डल मुरादाबाद।
4. समाज कल्याण अधिकारी/पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी/अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सम्भल।
5. संबन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी/नगर शिक्षा अधिकारी जनपद सम्भल।
6. कार्यालय गठित पत्रावली।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
सम्भल।

Principal
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)

Manager
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव (मण्डलीय समिति)
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र–2, समुदाय केन्द्र, प्रीत विहार,
नई दिल्ली।

पत्रांक: वै0सहा0–2 / एन0ओ0सी0 / / 2017–18 दिनांक: 27-1-18

विषय: गोया वर्ल्ड स्कूल, ग्राम रामपुर जट, तहसील व जिला सम्भल को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त के सम्बन्ध में सूच्य है कि उत्तर प्रदेश शासन के शिक्षा (7) अनुभाग के शासनादेश संख्या: 1916 / 15–7–09–01(299) / 2007 दिनांक 14.07.2009 के अनुपालन में आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 15.01.2018 में लिये गये निर्णय के अनुसार गोया वर्ल्ड स्कूल, ग्राम रामपुर जट, तहसील व जिला सम्भल विद्यालय को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिये जाने मे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नही है:–

1– विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।

2– विद्यालय कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चो के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।

3– निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 के अन्तर्गत 25 प्रतिशत निर्धन वर्ग के बच्चों को प्रवेश प्रदान करना अनिवार्य होगा।

4– फीस उन्ही मदों में चार्ज किये जायें जो राज्य सरकार द्वारा अनुमन्य हों। फीस की दर इतनी होनी चाहिए जो सामान्यतः उस क्षेत्र में पूर्व में स्थित ऐसे अन्य विद्यालयों में चार्ज किया जा रहा है। काशनमनी / भवन शुल्क इत्यादि ऐसे मदों पर शुल्क न चार्ज किया जाये।

5– स्कूल सुरक्षा नीति, 2016 का अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

6– संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय को सम्बद्धता सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी।

7– संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।

8– कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्तिक लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।

Letters-2

9– राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।

10– विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

11– राज्य सरकार एवं सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार भूमि, भवन एवं अन्य अवस्थापना सुविधाओं की उपलब्धता सम्बद्धता से पूर्व संस्था द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

12– उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्द्धन नहीं किया जायेगा।

यह अनापत्ति प्रमाण–पत्र इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत किया जाता है कि संस्था द्वारा शासनदेश संख्या 2762/15–13–91–4(46)/91 दिनांक 30.11.1991 में उल्लिखित प्रतिबन्धों का समावेश ट्रस्ट की नियमावली में 03 माह के अन्दर कराया जाये।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जाती है, तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

डॉ0 (महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

पृ0सं0: वै0सहा0–2/एन0ओ0सी0/ 8827–33 /2017–18 दिनांक उक्तवत्।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:–

1– सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, माध्यमिक शिक्षा विभाग, लखनऊ।
2– आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद।
3– शिक्षा निदेशक (मा0) उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4– जिलाधिकारी, सम्भल।
5– जिला विद्यालय निरीक्षक, सम्भल।
7– प्रबन्धक, गोया वर्ल्ड स्कूल, ग्राम रामपुर जट, तहसील व जिला सम्भल।

27/1/18

डॉ0 (महेन्द्र देव)
संयुक्त शिक्षा निदेशक
एवं सदस्य सचिव
द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 सम्भल

पत्रांक 1418 /एन0बी0सी0/16 दिनांक – 23.5.16

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
सम्भल।

विषय :– गोया बर्ल्ड स्कूल रामपुर जट्ट, सम्भल को नेशनल बिल्डिंग कोड–2005 के अनुरुप प्रमाण–पत्र के संबंध में।

सन्दर्भः– आपका पत्र संख्या शि0सहा0/1878–79/2015–16 दिनांक 13.05.16.

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में इस कार्यालय के सहायक अभियन्ता से प्राप्त भवन के नेशनल बिल्डिंग कोड आफ इडिया–2005 सम्बन्धित प्रमाण पत्र मूल में संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

(इं0 एस0के0 अग्रवाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सम्भल

पत्रांक /एन0बी0सी0 /16 दिनांक –

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1–सहायक अभियन्ता, पंचम, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, सम्भल को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रमाण पत्र के क्रम में।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
सम्भल

प्रमाण–पत्र

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सम्भल के पत्र संख्या शि०सहा०/1878–79/2015–16 दिनांक 13.05.16 द्वारा गोया बर्ल्ड स्कूल रामपुर जट्ट, सम्भल को नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुरूप होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है।

अवगत कराना है कि विद्यालय भवन का निर्माण कार्य श्री नवीन कुमार, लाईसेंस सं०–सी०ए०/98/23124, शास्त्री नगर, मेरठ की देख–रेख में किया गया है तथा इं० नवीन कुमार द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया गया है कि भवन का निर्माण नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इण्डिया–2005 के अनुरूप किया गया है तथा भवन पूर्ण रूप से सुरक्षित है।

विद्यालय के भवन का निरीक्षण किया गया। विद्यालय का भवन प्रथम दृष्टया सामान्यतः ठीक प्रतीत होता है। यदि भविष्य में विद्यालय द्वारा प्रस्तुत मानचित्र में किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाता है, तो यह प्रमाण पत्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

(इं० आर०के० गुप्ता)
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
सम्भल।

Appendix VII

FIRE SAFETY CERTIFICATE

No.

Dated: 20/5/19

Certified that the Goya World School, Rampur Jatt (name of the building or premises) at Village – Rampur Jatt Tehsil & District – Sambhal (U.P.) (address) comprised of ....no............ basement(s) and ....two............ (upper floors) owned/occupied by Goya World School Rampur Jatt (Sambhal) .... (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on 20/5/19 (date of inspection) in the presence of Akash Garg (MANAGER) (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy class .... with effect from .... for a period of One Year.... years in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 20/05/2019 at Goya World School by

* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal : 20/5/19

Name : अग्नि शमन अधिकारी

Designation : [illegible] सम्भल

To

Goya World School
Rampur Jatt, Sambhal
(U.P.)

(Name & Address of the Institution)

ENDORSEMENT

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to .... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)

Principal
Goya World School
Rampur [illegible]

Manager
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)

APPENDIX - VIII

PROFORMA REGARDING SAFE DRINKING WATER AND SANITARY CONDITION CERTIFICATE.

No. —

Date : 1/6/19

It is certified that an inspection team headed by Rajkumar Gupta (Name of Officers with designation) from Nagar Palika Parishad Sambhal (Name of Department/Office) inspected the Goya World School Rampur Jatt, Tehsil - Sambhal (U.P.) (Name & Address of the School) on 1/6/19 and found that the Goya World School, Rampur Jatt (Sambhal) (Name of school) has safe drinking water facilities for the students and members of staff of the institution and is maintaining the hygienic sanitation condition in the school building & the campus as per the norms prescribed by the Central/State/U.T Govt.

The above valid for a period of One Year.

Signature with Seal : [signature] 1/6/19

Name :

Designation :

To

Goya World School
Rampur Jatt, Sambhal
Contact No.- 9457961571

(Name & Address of the Institution)

Principal
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)

Manager
Goya World School
Rampur Jatt (Sambhal)